रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267138
CG-DL-E-27102025-267138

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4746] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 25, 2025/कार्तिक 3, 1947
No. 4746] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25, 2025/KARTIKA 3, 1947

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4892(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के एक सदस्य अर्थात् श्री मीर मोहम्मद फयाज़ जो अपनी पदावधी के अवसान पर 10 फरवरी, 2021 को निवृत्त हो गए हैं, के स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :--

घोषणा

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूं कि—

चौधरी मोहम्मद रमज़ान,

मकान सं. 118, हंदवाड़ा कुपवाड़ा

(जो जे&के नेश्नल कांफ्रेंस द्वारा खड़े किए गए हैं,)

उस सदन में श्री मीर मोहम्मद फयाज़ के, उनकी पदावधि के अवसान पर 10 फरवरी, 2021 को निवृत्त होने के कारण, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जम्मू

तारीख : 24/10/2025

ह./-

रिटर्निंग आफिसर"।

[फा.सं.एच-11024/9/2025-वि.2]

अकाली वी. कोंघे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2025

S.O. 4892(E).— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States of one member, namely, Shri Mir Mohammad Fayaz, who retired on the 10th February, 2021 on the expiration of his term of office, is published for general information:–

Declaration

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that:–

Chowdry Mohammad Ramzan,

H.No. 118, Handwara, Kupwara

(Sponsored by J&K National Conference)

has been duly elected to fill a seat in that House caused due to the retirement of Shri Mir Mohammad Fayaz on 10th February, 2021 on the expiration of his term of office.

Place : Jammu

Dated: 24/10/2025

Sd-

Returning Officer".

[F.No.H.11024/9/2025-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4893(अ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. का.आ.4526(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2025 के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य श्री मीर मोहम्मद फयाज़ के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 10 फरवरी, 2021 को निवृत हो गए हैं, स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है:

सदस्य का नाम
श्री चौधरी मोहम्मद रमज़ान

[फा.सं.एच-11024/9/2025-वि.2]

अकाली वी. कोंघे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2025

S.O. 4893(E).— Whereas, elections have been held, in pursuance of notification number S.O. 4526 (E), dated 6th October, 2025 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seat of Shri Mir Mohammad Fayaz, a member of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir who retired on 10th February, 2021, on the expiration of his term of office.

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir is hereby notified for general information:

Name of the member
Shri Chowdry Mohammad Ramzan

[F.No.H.11024/9/2025-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Jt Secy. & Legislative Counsel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4894(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के एक सदस्य अर्थात् श्री शमशेर सिंह, जो अपनी पदावधी के अवसान पर 10 फरवरी, 2021 को निवृत्त हो गए हैं, के स्थान को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम अंतर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :--

घोषणा

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूं कि—

श्री सज्जाद अहमद किचलू,

मकान सं. 19, वार्ड सं. 06, किचलू मोहल्ला किश्तवाड़

(जो जे&के नेश्नल कांफ्रेंस द्वारा खड़े किए गए हैं)

उस सदन में श्री शमशेर सिंह के, उनकी पदावधि के अवसान पर 10 फरवरी, 2021 को निवृत्त होने के कारण, स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जम्मू

तारीख : 24/10/2025

ह./-

रिटर्निंग आफिसर"।

[फा.सं.एच-11024/9/2025-वि.2]

अकाली वी. कोंघे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2025

S.O. 4894(E).— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the name of the candidate elected to fill the seat in the Council of States of one member, namely, Shri Shamsher Singh, who retired on the 10th February, 2021 on the expiration of his term of office, is published for general information:–

Declaration

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that:–

Shri Sajjad Ahmad Kichloo,

H.No. 19, Ward No.06, Kichloo Mohallah Kishtwar

(Sponsored by J&K National Conference)

has been duly elected to fill a seat in that House caused due to the retirement of Shri Shamsher Singh on 10th February, 2021 on the expiration of his term of office.

Place : Jammu Sd-

Dated: 24/10/2025 Returning Officer".

[F.No.H.11024/9/2025-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, J.t Secy. & Legislative Counsel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4895(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. का.आ.4527(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2025 के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य श्री शमशेर सिंह के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 10 फरवरी, 2021 को निवृत हो गए हैं, स्थान को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराया गया है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य का नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है :

सदस्य का नाम
श्री सज्जाद अहमद किचलू

[फा.सं.एच-11024/9/2025-वि.2]

अकाली वी. कोंघे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2025

S.O. 4895(E).— Whereas, elections have been held, in pursuance of notification number S.O. 4527 (E), dated 6th October, 2025 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seat of Shri Shamsher Singh, a member of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir who retired on 10th February, 2021, on the expiration of his term of office.

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the name of the member elected by the elected members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir is hereby notified for general information:

Name of the member
Shri Sajjad Ahmad Kichloo

[F.No. H.11024/9/2025-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4896(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में, निम्नलिखित घोषणा, जिसमें राज्य सभा के दो सदस्य अर्थात् श्री गुलाम नबी आज़ाद और श्री नजीर अहमद लवाय जो अपनी पदावधी के अवसान पर 15 फरवरी, 2021 को निवृत्त हो गए हैं, के स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम अंतर्विष्ट है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :--

घोषणा

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन ।

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं, घोषणा करता हूं कि—

1. **श्री सत पॉल शर्मा**
   268, स्कूल शिक्षा बोर्ड के नज़दीक, रेहारी कॉलोनी, जम्मू
   (जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं)
2. **गुरविंदर सिंह ओबेरॉय,**
   188, चोपड़ा लेन, शिवपोरा, श्रीनगर
   (जो जे&के नेश्नल कांफ्रेंस द्वारा खड़े किए गए हैं)

उस सदन में क्रमश: श्री गुलाम नबी आज़ाद और श्री नजीर अहमद लवाय के, उनकी पदावधि के अवसान पर 15/02/2021 को निवृत्त होने के कारण, स्थानों को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : जम्मू
तारीख : 24/10/2025

ह./-

रिटर्निंग आफिसर"।

[फा.सं.एच-11024/9/2025-वि.2]
अकाली वी. कोंघे,संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2025

S.O. 4896(E).— In pursuance of section 67 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the following declaration containing the names of the candidates elected to fill the seats in the Council of States of two members, namely, Shri Ghulam Nabi Azad and Shri Nazir Ahmed Laway, who retired on the 15th February, 2021 on the expiration of their term of office, is published for general information:–

Declaration

Election to the Council of States by the elected members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir.

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that:–

1. **Shri Sat Paul Sharma,**
268 near Board of School Education, Rehari Colony Jammu
(Sponsored by Bharatiya Janata Party)

2. **Gurwinder Singh Oberoi,**
188, Chopra Lane, Shivpora Srinagar
(Sponsored by J&K National Conference)

have been duly elected to fill the seats in that House caused due to the retirement of Shri Ghulam Nabi Azad and Shri Nazir Ahmed Laway on 15/02/2021 on expiration of their term of offices

Place : Jammu Sd-
Dated: 24/10/2025 Returning Officer".

[F.No. H.11024/9/2025-Leg.II]
AKALI V. KONGHAY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4897(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं. का.आ.4528(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2025 के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य श्री गुलाम नबी आज़ाद और श्री नजीर अहमद लवाय के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर 15 फरवरी, 2021 को निवृत हो गए हैं, स्थानों को भरने के प्रयोजन के लिए निर्वाचन कराए गए है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 71 के अनुसरण में, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते है :

सदस्यों के नाम
1. श्री सत पॉल शर्मा
2. श्री गुरविंदर सिंह ओबेरॉय

[फा.सं. एच-11024/9/2025-वि.2]
अकाली वी. कोंघे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2025

S.O. 4897(E).— Whereas, election has been held, in pursuance of notification number S.O. 4528 (E), dated 6th October, 2025 issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of Shri Ghulam Nabi Azad and Shri Nazir Ahmed Laway, members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir who retired on 15th February, 2021, on the expiration of their term of office.

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the names of the members elected by the elected members of the Legislative Assembly of the Union territory of Jammu and Kashmir are hereby notified for general information:

Name of the members
1. Shri Sat Paul Sharma
2. Shri Gurwinder Singh Oberoi

[F.No. H.11024/9/2025-Leg.II]

AKALI V. KONGHAY, Jt. Secy. & Legislative Counsel

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.27 11:04:20 +05'30'